न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 24 / 2020

उनवान

1. करणी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ हाल 739 श्री फार्ट ग्लीतव सिनिमा के पास बाल कृष्ण कौल नगर जिला अजमेर

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र लाला जाति रेगर
2. भंवरलाल पुत्र लाला जाति रेगर
3. मदनलाल पुत्र लाला जाति रेगर निवासी राजगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.10.20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम राजगढ में वादग्रस्त आराजियात कयशुदा खातेदारी काश्तकारी की स्थित है जिसके जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 500, 501, 503, 502 रकबा 0–03–00, 0–10–10, 0–8–00, 00–08–00 हाल खसरा नम्बर 911, 912, 912 मिन, 913 रकबा 0.02, 0.09, 0.07, 0.06 है0, है। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी भूमि है। तथा चौसाला पुराने खसरा नम्बर 500 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 482 रकबा 0–03–00 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 911 रकबा 0.02 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं उसकी माता धापू की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार धापू की मृत्यू हो गयी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपनी अपनी भूमि पर काबिज मालिक स्वामी चले आ रहे है। वादी की खातेदारी भूमि पुराने चौसाला खसरा से बने वर्किंग तथा वर्किंग में बने नवीन खसरा के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में बने हाल खसरा नम्बर को पूर्व चौसाला नक्शा ट्रेस सन 1951–52 में सही रूप से दर्शित मानचित्र की स्थिति को वर्किंग नक्शा ट्रेस सन 1970 से 71 एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में परिवर्तित करते हुए बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि चौसाला पुराने खसरा नम्बर 500 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 482 रकबा 00–03–00 के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में बने हाल खसरा नम्बर 911 रकबा 0.02 का रकबा बडा करते हुए वर्किंग नक्शा ट्रेस सन 1970 से 71 एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस की स्थिति को परिवर्तित कर वादी के खातेदारी खेत हाल खसरा नम्बर 912 की पश्चिमी दिशा की लाईन को हाल खसरा नम्बर 908 के दक्षिण दिशा के कोने से लाईन ... उत्तर से दक्षिण के रूप में खेत आधा करते हुए रकबा कम कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत हाल खसरा नम्बर 911 में मर्ज करते हुए खेत को बडा कर दिया जो भूमि वादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 912 थी को पूर्व चौसाला नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त करने की किया जाकर वादी के खेत हाल खसरा नम्बर 912 का रकबा पूरा किया जावे व वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नक्शों में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे व हाल खसरा नम्बर 912 का रकबा सही कर वर्तमान नक्शा ट्रेस मे इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर खातेदारी उदघोषणा पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जवाब में जाहिर किया की वादग्रस्त आराजी का मानचित्र त्रुटिपूर्ण है अथवा नहीं उक्त तथ्य मानचित्र से वादी स्वयं सिद्ध करे।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयीः–

1. आया आराजी मुतनजा का वर्तमान मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी राजस्व मानचित्र दुरूस्ती का अधिकारी है?
2. अनुतोष?

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस पूर्व एवं वर्तमान, वर्किंग जमाबन्दी की नकल, वर्तमान जमाबन्दी, चौसाला जमाबन्दी, नजरी नक्शा दस्तावेज प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

राज. पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सीधे बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है–

तनकी संख्या 1 :–

चौसाला खसरा नम्बर 500 वर्किंग खसरा नम्बर 482 जिसके हाल खसरा नम्बर 911 है वह प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 912 व 913 वादी की खातेदारी में है जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 843, 484, 485 व चौसाला खसरा नम्बर 501, 502, 503 है। वादी का कथन है कि पूर्व में प्रतिवादीगण की आराजी चौसाला खसरा नम्बर 500 तत्कालीन राजस्व मानचित्र में सही रूप से अंकित था किन्तु वर्किंग मानचित्र में वर्किंग खसरा नम्बर 482 व हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 911 की स्थिति परिवर्तित करते हुये वादी के खसरा नम्बर का रकबा हाल खसरा नम्बर 911 में मिला दिया है। तथा वादी के खेतों का रकबा राजस्व मानचित्र में कम कर दिया है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पेरोकार ने भी वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला, वर्किंग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन से भी वादी के तथ्यों की ताईद होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व मानचित्र के इन्द्राज को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आदिनांक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है। प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 912, 913 पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर हाल व चौसाला मानचित्र की तुलना कर पाई गई त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

करणी बनाम बंशीलाल

दावा बाबत :— 88,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —24/20
पेश करने की दिनांक — 4.3.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई सरकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 911, 912, 913 पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर हाल व चौसाला मानचित्र की तुलना कर पाई गई त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मैय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 10 सन् **2020** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद